न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 89/2025 (2025/331)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
गोदाराम पुत्र अचलाराम जाति माली निवासी ग्राम सालावास तहसील लूण जिला जोधपुर।		1. बाबुलाल पुत्र पोकरराम 2. स्व. खीवराज पुत्र पोकरराम के कायम मुकामः– 2/1 गुलाब देवी पत्नि स्व. खींवराज 2/2 कुसुम पुत्री स्व. खींवराज 2/3 भावना पुत्री स्व. खींवराज 2/3 मोनिका पुत्री स्व. खींवराज 2/4 विरेन्द्र पुत्र स्व. खींवराम 3. गोविन्दसिंह पुत्र पोकरराम 4. मुकेश पुत्र गणपतसिंह 5. मंजू पत्नि गणपतसिंह सभी जातियान माली निवासीगण ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर। 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. **वादी की और से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार देवड़ा।**
2. **प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की और से कोई उपस्थित नहीं।**

दिनांकः–30.03.2026

–: : निर्णय : :–

वादी द्वारा एक राजस्व वाद (89/2025) 2025/331 बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के सहखातेदारी की कृषि भूमि ग्राम किशनासर लूणी तहसील लूणी में कृषि भूमि ग्राम किशनासर लूणी तहसील लूणी में कृषि भूमि खसरा संख्या 597 रकबा 4.7105 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 598 रकबा 2.2339 हैक्टेयर कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त खसरे की कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है एवं शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या एक से पांच का है। वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदारी की कृषि भूमि में जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार उक्त विवादग्रस्त खसरान की कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउंड्स बंटवाड़ा करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया।

वाद में प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.02.2026 को जारी की गई एवं तहसीलदार लूणी को बाई मिट्स एण्ड बाउंड्स बंटवाड़ा प्रस्ताव पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बंटवाड़ा प्रस्ताव पत्र क्रमांक/भू.अ./2026/725 दिनांक 12.03.2026 को पेश किया गया। वादी का भूमि के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज (जमाबंदी दिनांक 06.10.2025 से स्पष्ट) है। तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 06.03.2026 को की गई जिसके आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो संलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्नानुसार है:–

क्रं. स.	खातेदार का विवरण	खसरा संख्या	रकबा हैक्टयर में	किस्म	लगान
A	1.गोदाराम पुत्र अचलाराम हिस्सा पूर्ण जाति माली सा. देह खातेदार	597 598	2.3552 1.1170	बारानी। बारानी।	13.23 6.23
	योग	02	3.4722	बारानी।	19.51
B	1.कुसुम पुत्री खींवराज हिस्सा 1/20 2.गुलाब पत्नि खींवराज हिस्सा 1/20 3.भावना पुत्री खींवराज हिस्सा 1/20 4.मोनिका पुत्री खींवराज हिस्सा 1/20 5.वीरेन्द्र गहलोत पुत्र खींवराज हिस्सा 1/20	597 598	2.3553 1.1169	बारानी। बारानी।	13.24 6.27

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

6.मुकेश पुत्र गणपतसिंह हिस्सा 1/8 7.मन्जू पत्नि गणपतसिंह हिस्सा 1/8 8.बाबूलाल पुत्र पोकरराम हिस्सा 1/4 9.गोविन्दसिंह उर्फ गोविन्द प्रकाश पुत्र पोकरराम हिस्सा 1/4 जातियान माली सा. देह खातेदार				
योग	02	3.4722	बारानी।	19.51

उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकारान संयुक्त खातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाड़ा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 06.10.2025 के अनुसार विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे में तरतीम इन्द्राज करें। रहन हिस्से अनुसार दर्ज रखा जावें। बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं मौका फर्द दिनांक 06.03.2026 डिक्री का अभिन्न अंग समझा जावे डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

डिकी बमुकदमें दबतदाई

ओर्डर 21 रूल 6,–7 जाब्ता दीवानी

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–89/2025 (2025/331)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
गोदाराम पुत्र अचलाराम जाति माली निवासी ग्राम सालावास तहसील लूण जिला जोधपुर।		1. बाबुलाल पुत्र पोकरराम 2. स्व. खीवराज पुत्र पोकरराम के कायम मुकामः– 2/1 गुलाब देवी पत्नि स्व. खींवराज 2/2 कुसुम पुत्री स्व. खींवराज 2/3 भावना पुत्री स्व. खींवराज 2/3 मोनिका पुत्री स्व. खींवराज 2/4 विरेन्द्र पुत्र स्व. खींवराम 3. गोविन्दसिंह पुत्र पोकरराम 4. मुकेश पुत्र गणपतसिंह 5. मंजू पत्नि गणपतसिंह सभी जातियान माली निवासीगण ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर। 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया। यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि –

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाड़ा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 06.10.2025 के अनुसार विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे में तरतीम इन्द्राज करें। ....खर्चा इस मुकुदमें में मय सूद व वगैरह .... निज..................मुबलिक.................बाबत.............................. ....को अदा करे। ..फीसदी सलाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 30.03.2026 जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरीजी दावा स्टाम्प			स्टाम्प अरीजी दावा स्टाम्प		
वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबतइजराय हुक्मनामा			बाबतइजराय हुक्मनामा		
मुतफरिंक मीजान			मुतफरिंक मीजान		

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी